UPPG010046942026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
<u>पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे. एस.)</u>
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1927/2026

आर्यन शुक्ल उर्फ अमित शुक्ल उम्र 22 वर्ष सुत शीतला प्रसाद शुक्ल
निवासी ग्राम खनवारी थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ...विपक्षी।

अपराध संख्या–21/2026
धारा–191(2),191(3),109(1),115(2),
352,351(3),117(2)भारतीय न्याय संहिता
थाना–संग्रामगढ़, **जिला**– प्रतापगढ़।

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **आर्यन शुक्ल उर्फ अमित शुक्ल** की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के प्रावधान के अन्तर्गत अपराध संख्या 21/2026 की धारा 191(2),191(3),109(1), 115(2),352,351(3),117(2) भारतीय न्याय संहिता थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़ के केस में उसे जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे असत्य कथनों के आधार पर हैरान व परेशान करने की नीयत से मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट समय के विपरीत पुलिस की साजिश से दर्ज करायी गयी है। कायमी जी0 डी0 में चोटहिल अकेले थाना संग्रामगढ़ तहरीर लेकर थानाध्यक्ष के पास जाता है। कायमी जी0 डी0 में वादी के बदन पर आयी चोटों का कोई तस्किरा नहीं है अपितु वादी का मेडिकल अकब से कराया जायेगा, अंकित किया है। चोटहिल सुशील कुमार शुक्ला का मेडिकल परीक्षण सरकारी अस्पताल संग्रामगढ़ में दिनांक 06.02.2026 को समय 11.20 बजे रात प्राइवेट में स्वयं द्वारा कराया गया है। प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट में सिर की चोट साधारण प्रकृति की अंकित है तथा डॉक्टर द्वारा सिर के चोट का पूरक आख्या बनाने से मना कर दिया गया है कि प्राथमिक उपचार के दौरान सी0 टी0 हेड की सलाह नहीं दी गयी थी। प्राथमिक मेडिकल परीक्षण के वक्त मजरूब की दशा सामान्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई आशय नहीं है, रात 8 बजे की अंधेरी रात की घटना कही गयी है, उजाले के स्रोत का कोई जिक्र नहीं है, किसी साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रधानी की रंजिश को लेकर घटना होना कहा जाता है, किन्तु प्रधानी की किस बात की रंजिश है, स्पष्ट नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र गांव की पार्टी बन्दी की रंजिश के कारण पुलिस की साजिश से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही कभी के सजायाफ्ता हैं। नामित अभियुक्तगण

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.07.01 15:59:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुमित शुक्ला व कुलदीप सहित अन्य सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या आदि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना वाले दिन ही स्वयं घायल वादी मुकदमा द्वारा रात्रि 11.46 बजे दर्ज कराई गई थी जिसमें 5 नामजद सह अभियुक्तगण के अलावा 4–5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है , दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। मामले में प्रधानी की रंजिश को लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डण्डे से मारने पीटने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा दौरान विवेचना दिये गये बयान एवं थाने की जी0 डी0 इंट्री के अनुसार वादी मुकदमा के साथ मार पीट होने के बाद उसके द्वारा थाने पर आकर मुकदमा लिखाया गया तथा थाने के एक सिपाही के साथ उसे डॉक्टरी के लिए भेजा गया। केस डायरी व प्रपत्रों के अवलोकन से यह इंगित हो रहा है कि थाने की जी0 डी0 इंट्री 11.46 पी0 एम 0 पर दर्ज कराई गई जब कि उससे पूर्व समय 11.20 पी0 एम 0 पर ही स्वयं घायल वादी मुकदमा द्वारा अपना चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया था। आघात आख्या में उसके शरीर पर 4 चोटें आना बताई गई हैं जिसमें एक फटा घाव सिर के टेम्पोरल क्षेत्र में 1.5x1cm., दूसरा फटा घाव खोपड़ी में 1x0.5cm. तथा एक नीलगू सूजन 6x8 cm. बांये घुटने पर तथा एक नीलगू सूजन दाहिने घुटने पर 8x6cm. की बताई गई। चिकित्सक द्वारा चोटें सामान्य प्रकृति की बताई गई थी तथा घुटने व हाथ में आई चोट के सम्बन्ध में एक्सरे की सलाह दी गई जिसमें बाद में एक्सरे रिपोर्ट में " लीनियर मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर आफ पटेला '' आने की एक्सरे रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। यद्यपि चिकित्सक द्वारा सिर की चोटों के सम्बन्ध में एक्सरे की सलाह नहीं दी गई थी तथापि एस 0 आर 0 एन 0 हास्पिटल, प्रयागराज द्वारा उसकी खोपड़ी का सी0 टी0 स्कैन कराया गया था जिसमें खून का थक्का होने तथा ''साफ्ट टिशू स्वैलिंग 7 एम एम मोटाई की तथा आक्सिपिटल हड्डी में लाइनर नान डिसप्लेस्ड अस्थि भंग आना बताया गया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 191(2),115(2), 352,351(3) बी0 एन 0 एस 0 में ही दर्ज कराई गई थी तथा बाद में विवेचक द्वारा धारा 109(1),117(2),191(3) की बढोत्तरी की गई। दौरान विवेचना वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहों के बयान में जान से मारने के आशय /नीयत से मार पीट किया जाना नहीं बताया गया था। वादी मुकदमा घटना के बाद पूरे होशो–हवाश में था तथा उसके द्वारा ही स्वयं जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा अपनी मेडिकल जाँच भी स्वयं ही कराई गई। प्रकरण से सम्बन्धित सह अभियुक्तगण सुमित शुक्ला,कुल्दीप सरोज, देव तिवारी एवं अमन सरोज की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी /अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **आर्यन शुक्ल उर्फ अमित शुक्ल** की तरफ से अपराध संख्या 21/2026 की धारा 191(2),191(3),109(1), 115(2),352, 351 (3), 117(2)भारतीय न्याय संहिता थाना–संग्रामगढ़ जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1927/2026 निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. अभियुक्त विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा दौरान विचारण उपस्थित साक्षीगण से प्रति परीक्षा हेतु अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं लेगा ।
2. अभियुक्त विवेचना एवं विचारण के दौरान मामले से सम्बन्धित किसी साक्षी को डर, धमकी या प्रलोभन के द्वारा प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त आरोप विरचन एवं बयान अभियुक्त के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त आर्यन शुक्ल उर्फ अमित शुक्ल के द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें बाद सत्यापन जमानत पर मुक्त किया जाय।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़ को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e–prison software में करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

दिनांक–01.07.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।
आई 0 डी0 नं0– यू0 पी0–2020